Member of Parliament Local Area Development Scheme सुधार परिपत्र सं.22

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

Dated ....

सं.सी-28-2012-एमपीलैड्स **25 मई, 2012**

सेवा में,

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव
आयुक्त, नगर निगम दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई/मुंबई
सभी जिलों के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय:- एमपीलैड दिशानिर्देशों का संशोधन- प्रत्येक जिले में सुविधा केन्द्र की स्थापना ।

महोदय/महोदया,

सरकार ने माननीय संसद सदस्यों की सुविधा के लिए निम्नलिखित पैरा, जिसे दिशानिर्देशों के पैरा 3.34 के रूप में जोड़ा जा सकता है, के अनुसार प्रत्येक जिले में एमपीलैड्स निधियों से एक साझा सुविधा केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है:-

3.34 एमपीलैड्स सुविधा केन्द्र: संसद सदस्य नोडल जिले में एमपीलैड्स सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु पात्र होगा जिसके लिए स्थान/कक्ष जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कलेक्ट्रेट/डीआरडीए के परिसर में उपलब्ध कराया जाएगा । उपस्कर, फर्नीचर आदि के साथ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पूंजीगत लागत 5 लाख रु. से अधिक नहीं होगी तथा इसे एमपीलैड्स निधियों से वहन किया जाएगा ।

3.34.1 इस सुविधा केन्द्र का प्रमुख कार्य, माननीय सांसदों को ऐसी सभी सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना होगा जो योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक है । यदि किसी जिले का चयन एक से अधिक सांसद द्वारा किया गया है, सुविधा केन्द्र इन सभी सांसदों को सेवा प्रदान करेगा । इस सुविधा केन्द्र को जिला प्राधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करना चाहिए तथा इसमें ऐसे व्यक्ति अनुबंध पर नियुक्त किए जाने चाहिए जिन्हें केन्द्र के प्रबंधन हेतु कंप्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो । केन्द्र का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम से कम एक होगी तथा जिन मामलों में नोडल जिला एक से अधिक सांसदों के लिए कार्य कर रहा है, यह संख्या एक से अधिक हो सकती है । तथापि, सुविधा केन्द्र के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या के संबंध में जिला प्राधिकारी संसद सदस्यों के परामर्श से निर्णय कर सकता है ।

3.34.2 इस सुविधा केन्द्र में इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर तथा अन्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए । सुविधा केन्द्र का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिले में जारी एमपीलैड्स कार्यों के विषय में सभी सूचना, पूर्ण हो चुके सभी कार्यों के संबंध में सूचना, अद्यतन वित्तीय सूचना तथा एमपीलैड्स संबंधी अद्यतन दिशानिर्देश एवं परिपत्र सुविधा केन्द्र में उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त, सुविधा केन्द्र में चालू एमपीलैड्स कार्यों का ब्यौरा भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए तथा परियोजनाओं की सूची का ब्यौरा भी रखा जाना चाहिए ।

3.34.3 सुविधा केन्द्रों के पास अपने स्वयं के ई-मेल पते होने चाहिए । यदि आवश्यक हो, जिला प्राधिकारी को ऐसे सुविधा केन्द्र की स्थापना में जिले के एनआईसी प्रकोष्ठ की सहायता लेनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, जिला प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुविधा केन्द्र के प्रबंधन हेतु अनुबंध पर नियुक्त व्यक्तियों का व्यवहार अच्छा और शिष्टतापूर्ण हो ।

3.34.4 आवर्ती चालू व्यय 2% प्रशासनिक खर्च के तहत होगा, जिसमें से नोडल जिलों को 0.8% मिलते हैं ।

2. एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में इन दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन किया जाए ।

3. इसे माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(ए.के.चौधरी)

सूचनार्थ प्रति प्रेषित:-

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी सम्बंधित अधिकारी ।
5. एनआईसी को, एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए । बढ़ावा